भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- 433
दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के लिए प्रश्न

तेलंगाना में डेयरी सहकारी समितियां

***433. श्री वामसि कृष्णा गद्दामः**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान तेलंगाना में डेयरी सहकारी समितियों को आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा उनके द्वारा कितने प्रतिशत धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने निजामाबाद और वारंगल जैसे जिलों में सहकारी दुग्ध उत्पादन में गिरावट के कारणों का आकलन किया है;

(ग) रुग्ण सहकारी समितियों का पुनरुद्धार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या तेलंगाना राज्य से सहकारी विकास योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय धनराशि बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'तेलंगाना में डेयरी सहकारी समितियां' के संबंध में दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिये जाने वाले लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 433 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), भारत सरकार द्वारा डेयरी विकास योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (2021-22, 22-23 और 23-24) के दौरान तेलंगाना में डेयरी सहकारी समितियों को जारी निधियों का ब्यौरा और उपयोग की गई निधि का प्रतिशत निम्नानुसार है:

योजना का नाम	**(करोड़ रु. में)**		**उपयोग की गई निधियों का प्रतिशत**
	पिछले तीन वर्षों में जारी निधियां (2021-22, 22-23 और 23-24)	**पिछले तीन वर्षों में निधियों का उपयोग (2021-22, 22-23 और 23-24)**	
राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)- अनुदान/ऋण	34.63	27.64	80%
पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)* - ऋण	120.94	120.94	100%
डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO)-ब्याज सबवेंशन	0.4	0.4	100%
कुल	155.97	148.98	96%
*पूर्ववर्ती डेयरी प्रसंस्करण अवसरचना विकास निधि *(DIDF)- 2.5% की दर से ब्याज सबवेंशन. अब एएचआईडीएफ में विलय- संवितरित ऋण पर निजी के साथ-साथ सहकारी समितियों को 3% की दर से ब्याज सबवेंशन*			

(ख) तेलंगाना में दूध उत्पादन वर्ष 2014-15 में 4207 हज़ार टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 5840 हज़ार टन हो गया, जिसमें पिछले दशक में दूध उत्पादन में 38.81% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालाँकि, तेलंगाना सरकार ने निज़ामाबाद और वारंगल जैसे जिलों में सहकारी दूध उत्पादन में गिरावट के लिए जिम्मेदार कई कारकों की पहचान और उनका आकलन किया है। कुछ कारक इस प्रकार हैं:

1. हरे चारे की अपर्याप्त सुविधाएं

2. पशुओं को खिलाने की बढ़ी हुई लागत- पशु आहार संघटकों और कंसंट्रेट की उच्च लागत

3. हरे चारे की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण दुधारू पशुओं से कम उत्पादकता

चारा उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमाणित चारा बीज की उपलब्धता में सुधार करने के लिए चारा बीज उत्पादन श्रृंखला को मजबूत करने तथा प्रोत्साहन के माध्यम से चारा ब्लॉक/हे बेलिंग/साइलेज बनाने वाली इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पशु आहार और चारा विकास संबंधी उप-मिशन लागू कर रहा है। गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए तेलंगाना को 592 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

(ग) डेयरी सहकारी समितियों की दूध प्रसंस्करण अवसंरचना को सुदृढ़/उन्नत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को संपूरित करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार देश भर में निम्नलिखित डेयरी विकास योजनाएं लागू कर रहा है:

(i) **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD):** NPDD को निम्नलिखित 2 घटकों के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है:

(क) NPDD का **घटक 'क'** गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण और प्राथमिक प्रशीतन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के निर्माण और सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। यह राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों, जिला सहकारी दूध उत्पादक संघों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), दूध उत्पादक कंपनियों और किसान उत्पादक संगठनों को लाभान्वित करता है। इस घटक का उद्देश्य उत्पादन से भंडारण तक दूध की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार करना है।

(ख) NPDD का **घटक 'ख'** ("सहकारिता के माध्यम से डेयरी") किसानों की संगठित बाजार तक पहुंच बढ़ाकर दूध और दूध उत्पादों की बिक्री को बढ़ाता है। यह दूध प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना को उन्नत करता है, जिससे उत्पादक-स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता बढ़ती है। यह घटक बेहतर बाजार संपर्क और प्रसंस्करण दक्षता सुनिश्चित करता है।

(ii) **डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO):** इस पहल का उद्देश्य राज्य डेयरी सहकारी परिसंघों को गंभीर रूप से प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले संकटों से निपटने में मदद करने के लिए सुलभ कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करके सहायता करना है।

(iii) **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF):** योजना के प्राथमिक उद्देश्यों में दूध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना और उत्पाद विविधीकरण को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य असंगठित ग्रामीण दूध उत्पादकों को संगठित बाजारों तक बेहतर पहुँच प्रदान करना है, जिससे इस क्षेत्र में विकास और समावेशिता को बढ़ावा मिले।

उपर्युक्त के अलावा, भारत सरकार के सहयोग से तेलंगाना सरकार ने विजया डेयरी जैसी डेयरी सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. **डेयरी किसानों को प्रोत्साहन भुगतान:** तेलंगाना सरकार ने उत्पादन लागत की भरपाई के लिए डेयरी किसानों को 4 रुपये प्रति लीटर का प्रोत्साहन शुरू किया है।
ii. छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने के लिए **दूध खरीद मूल्य में वृद्धि की है।**
iii. पशु आहार लागत को कम करने और पशुधन के स्वास्थ्य में सुधार के लिए **सब्सिडी वाले पशु आहार सांद्रता (कंसंट्रेट) कार्यक्रम।**
iv. प्रबंधन कौशल को बढ़ाने और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए डेयरी किसानों हेतु **प्रशिक्षण कार्यक्रम।**
v. गोपशुओं की खरीद और कार्यशील पूंजी के लिए ऋण (जैसे, मुद्रा, पीएमईजीपी (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम), स्त्री निधि और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)) के माध्यम से **वित्तीय सहायता।**
vi. डेयरी सहकारी समितियों पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण पर **ब्याज सबवेंशन।**
vii. गोपशुओं की आनुवंशिकी और दूध के उत्पादन में सुधार करने के लिए किसानों को **कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाएं** प्रदान की गईं।

इसके अलावा, तेलंगाना सरकार ने सूचित किया है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन (Rurban) योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) से समर्थन प्राप्त हुआ है। तेलंगाना के संगारेड्डी, रंगारेड्डी, वारंगल, नागरकुरनूल, महबूबनगर, मेडक, जनगांव और कामारेड्डी के जिला कलेक्टरों द्वारा दूध प्रशीतन

और प्रसंस्करण अवसंरचना की स्थापना के लिए रूर्बन योजना के तहत 12.30 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई।

(घ) जी नहीं, तेलंगाना की ओर से केंद्रीय निधि में वृद्धि के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, योजनाएं मांग आधारित हैं और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं पर योजना दिशानिर्देशों के मानदंडों के अनुसार विचार किया जाता है। तेलंगाना में सहकारी समितियों के लिए डेयरी विकास योजनाओं के तहत संस्वीकृत परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:

i. NPDD योजना:

(क) NPDD योजना के घटक 'क' के तहत, तेलंगाना में 8 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं जिनकी कुल परियोजना लागत 8916.24 लाख रुपये है, जिसमें केंद्रीय हिस्सेदारी 6967.31 लाख रुपये है और इसमें से 3770.88 लाख रुपये की राशि जारी की गई है और अब तक 3120.25 लाख रुपये का उपयोग किया गया है।

(ख) NPDD योजना के घटक 'ख' के तहत, तेलंगाना में एक परियोजना को संस्वीकृति प्रदान की गई है जिसकी कुल परियोजना लागत 9070.94 लाख रुपये है जिसमें 7152.61 लाख रु. का ऋण, 1246.30 लाख रु. का अनुदान और 672.03 लाख रु. का उत्पादक संस्थान का योगदान शामिल है। अब तक, 4522.19 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं, जिसमें 4161.71 लाख रुपये की ऋण राशि और परियोजना के कार्यान्वयन के समर्थन के लिए 360.48 लाख रुपये की अनुदान राशि शामिल है।

ii. SDCFPO: दिनांक 16.03.2025 तक, 2 दूध संघों/परिसंघों को 150 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजीगत ऋण राशि के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से 65.15 लाख रुपये (39 लाख रुपये नियमित ब्याज सब्सिडी और 26.15 लाख रुपये अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी राशि) जारी किए गए हैं।

iii. AHIDF: पूर्ववर्ती DIDF योजना के तहत 156.70 करोड़ रुपये के ऋण सहित कुल 261 करोड़ रुपये की लागत के साथ 3 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है, जिसमें से 134.22 करोड़ रुपये इस योजना के तहत जारी किए गए हैं, जिस पर ब्याज सबवेंशन प्रदान किया गया है।

****